न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी/कोलो/516/2006/गंगानगर

पालसिंह पुत्र श्री खजानसिंह जाति रायसिख निवासी चक 8 एफ0डी0एम0 (ढाणी) तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर।

....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....अप्रार्थी

एकलपीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

उपस्थितः–

श्री प्रदीप विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी।

श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, उप राजकीय अधिवक्ता।

––

निर्णय

दिनांकः 21–08–19

यह निगरानी राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षैत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 (2) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील सं0

341/2004 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 07–01–2006 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई हैं।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के समक्ष राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षैत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के अन्तर्गत सरकारी भूमि के आवंटन हेतु एक आवेदन पत्र पेश कर चक 8 एफ0डी0एम0 के मु0नं0 105/344 की 20 बीघा भूमि के आवंटन करने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, सूरतगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 03–09–2004 द्वारा प्रार्थी का प्रा0 पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि विवादित भूमि पोंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित है एवं विवादित भूमि से प्रार्थी को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश दिए। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 07–01–2006 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह निगरानी पेश की गई है।

3– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि खसरा गिरदावरी संवत् 2013 व 2014 ग्राम सरदारगढ़ के खसरा नं0 166 की 25 बीघा भूमि की गिरदावरी प्रार्थी के पिता ख्जानसिंह के नाम दर्ज है तथा मुरब्बा बंदी के बाद प0नं0 105/344 की गिरदावरी संवत् 2035 से 2038

में भी प्रार्थी के नाम का अंकन है। उक्त से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि पहले प्रार्थी के कब्जे काश्त में थी व उसके बाद प्रार्थी के कब्जा काश्त में चही आ रही है अर्थात 50 वर्ष से उनका कब्जा काश्त सिद्ध है। इसी आधार पर उसने उसके विवादित आराजी के पुख्ता आवंटन अथवा विशेष आवंटन हेतु प्रा0 पत्र पेश किया। उसने इससे पूर्व प्रार्थी नें अमानत राशि 3500/– रू0 जरिये चालान सं0 46 दिनांक 30–03–81 भी जमा करवाई है तथा विवादित भूमि पर काश्त करने हेतु पानी की इजाजत भी ली है, ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों तथ्यों के विपरीत अपना आदेश पारित किया है। उनका यह भी तर्क था कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विरूद्ध विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत पारित किए है। उनका तर्क था कि राज0 नहर अपने से पूर्व यह भूमि बंजर थी, जिसे उसने काबिल काश्त बनाया था खेत में ढाणी बनाकर अपने परिवार के साथ रहकर इस भूमि पर काश्त कर रहा है। उसके पास इस भूमि पर कृषि कार्य किए जाने के अतिरिक्त आय का कोई साधन नहीं है, जिसे विधिक एवं संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उनका तर्क था कि उसने पोंग बांध हेतु आरक्षित भूमि को आरक्षण से मुक्त करने के लिए प्रा0 पत्र पेश कर रखा है, जिस पर सरकार का निर्णय उनके पक्ष में होने की पूर्ण आशा है, जिसका ज्ञान दोनों अधीनस्थ न्यायालयों को था, इसके बावजूद दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने सरदारगढ़ के रायसिखों के पास कब्जा काश्त की भूमि को आवंटन करने से इन्कार कर रकबा बहक सरकार लेने का आदेश दिया, जो विधि विरूद्ध है। उनका तर्क था कि राज्य सरकार के स्टेण्डिंग आदेश है तथा कानून की भी यही मंशा है कि यदि कोई काश्तकार 30 वर्ष से अधिक समय तक कब्जा काश्त में है तो उसे रकबा नियमन कर आवंटन किया जाकर खातेदारी प्रदान की जा सकती है। अतः न्यायहित में निगरानी स्वीकार की

जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 07–01–2006 व उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 03–09–2004 को निरस्त किया जाकर प्रकरण आवंटन अधिकारी को रिमाण्ड किया जावें।

5– योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पोंगे बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित है, जिसे अन्य किसी को आवंटित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रार्थी का कब्जा बतौर अतिक्रमी है, ऐसी स्थिति में वह किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– प्रश्नगत प्रकरण में विवादित भूमि के आवंटन हेतु प्रा0 पत्र पेश करने पर उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की, जिसमें तहसीलदार ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि विवादित भूमि पोंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित है तथा विवादित भूमि प्रार्थी को कभी भी आरजी काश्त पर नहीं दी गई है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में ही विचारण न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया, जिसे अधीनस्थ अपील न्यायालय ने भी उचित माना है। हमारी राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित एवं विधिसम्मत् है, क्योंकि विवादित भूमि पोंग विस्थापितों के लिए आरक्षित है तो उसका आवंटन/नियमन

प्रार्थी के पक्ष में किया जाना विधि विरूद्ध है। अतः यह निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

8– उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य